न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(श्री दुर्गा प्रसाद मीना **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :—243 / 2020 निर्णय दिनांक :— 30.05.2024

उनवानी प्रार्थना पत्र :—

गीता देवी पत्नि रामदयाल जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—प्राथीया—

—बनाम—

1. शिवजीलाल पुत्र रामनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. कैलाश पुत्र श्रीनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी हाल निवासी सेन्दड़ा फार्म हाउस, पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3. भंवरलाल पुत्र नन्दा जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी हाल निवासी सेन्दड़ा फार्म हाउस, पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
4. गिर्राज पुत्र नन्दा जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी हाल निवासी सेन्दड़ा फार्म हाउस, पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
5. अमरी देवी पत्नि नन्दा जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी हाल निवासी सेन्दडा फार्म हाउस, पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
6. चतुरभुज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
7. लक्ष्मी पत्नि चतुरभुज जाति जाट उम्र बालिग निवासी धारोला तहसील दूनी जिला टोंक राज0
8. तहसीलदार जी दूनी तहसील दूनी जिला टोंक राज0

—अप्रार्थीगण—

उपस्थितिः—

श्री बद्री प्रसाद विजयवर्गीय
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 7
तहसीलदार देवली

प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए राज0 टीनेन्सी एक्ट

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण 2 ता 5 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 342 रकबा 0.82 है0 वाके ग्राम धारोला पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोक राज0 मे स्थित है। उक्त आराजीयात मे प्रार्थीया का 3/8

हिस्सा है तथा अपने हिस्से की भूमि मे आने जाने, कृषि यन्त्र लाने ले जाने मे रास्ते की आवश्यकता हो रही है। उक्त आराजी भूमि के सहखातेदार नन्दा पुत्र रामनाथ की मृत्यु हो चुकी है तथा अप्रार्थीगण 3 ता 5 मृतक नन्दा के वारिसान है जिनके नाम अभी फोती का नामांतकरण नही खुला है। उक्त भूमि के सहखातेदार कैलाश पुत्र श्रीनारायण एवं अप्रार्थीगण 3 ता 5 ने उक्त प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी बनने से मना कर दिया है इस कारण उन्हें अप्रार्थीगण 2 ता 5 पक्षकार बनाया गया है। अप्रार्थीगण 2 ता 5 के विरूद्ध किसी प्रकार की रिलिफ नही चाही गयी है। प्रार्थीया की उक्त वर्णित आराजी भूमि के पास ही अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0.14 है0 एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.19 है0 स्थित है। प्रार्थीया अपने पूर्वजो के समय से ही अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.19 है0 मे से होकर अप्रार्थी नम्बर 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 360 में से होकर आती जाती रही है तथा उपयोग उपभोग करती आ रही है परन्तु अब अप्रार्थी नम्बर 1 व 6, 7 द्वारा प्रार्थीया की उक्त आराजीयात मे आने जाने वाले उक्त रास्ते को बंद कर दिया है जिससे प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने में काफी परेशानी हो रही है तथा रास्ते के अभाव मे प्रार्थीया अपनी खातेदारी की भूमि को काश्त नहीं कर पा रही है जिसके कारण प्रार्थीया को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। प्रार्थीया की उक्त आराजीयात पर आने जाने का उक्त रास्ते के अलावा अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थीया को अपनी उक्त आराजीयात पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0. 19 है0 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 0. 14 है0 में से 20 फीट चोडा रास्ता दिलाया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजीयात श्रीमान के क्षेत्राधिकार में होने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अप्रार्थी नम्बर 8 तहसीलदार जी दूनी को भूमि का लेण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थीया नियमानुसार एवं आदेशानुसार राशी जमा कराने

को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अ0धारा 251 ए आर टी एक्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया को अपनी खातेदारी की आराजीयात खाता संख्या 35 खसरा नम्बर 342 रकबा 0.82 है0 बाके ग्राम धारोला पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी जिला टोक राज0 पर आने जाने के लिये अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 364 रकबा 0.19 है0 मे से होकर अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 360 में से 20 फीट चोडा रास्ता दिलवाये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 5 के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

अप्रार्थी तहसीलदार देवली द्वारा कमांक 172 दिनांक 15.03.21 से जवाब/रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:-प्रार्थी स्वयं की आराजी ख0न0 342 तक पहुंचने के लिये ख0न0 360 में से रास्ता चाहा है. परन्तु मौके पर ख0न0 2001/364, 362, 363, 364 में से रास्ता उपलब्ध है एवं उक्त आराजी वी खातेदार भी रास्ता देने के लिये सहमत है। प्रार्थी को रारते की आवश्यकता आत्यंतिक है।

प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	ख. नं.	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1.	364	30	6	180
2.	2001/364	15	6	90
3.	362	100	6	600
4.	363	10	6	60
कुल क्षैत्रफल		155	6	930

नोट- अन्य मिसल संख्या 05/2020 उनवान शिवजीलाल उर्फ चतुर्भुज में ख0न0 364 रकबा 0.19 है0 में 8 मीटर एवं 30 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रस्तावित किया हुआ है।

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 265783/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 49435/– रूपये होती है। आराजी ख0न0 342 बाके ग्राम चारोला आवेदक गीता पत्नी श्री रामदयाल के नाम खातेदारी दर्ज है। प्रार्थी आराजी ख0न0 360 में से रास्ता चाहता है. किन्तु ख0न0 2001/364, 362 363,364 में से रास्ता दिया जाना उचित होगा। जिसके खातेदार भी सहमत है। जिसे नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के माध्य कोई सरंचना जैसे पेड दीवार नहीं है। अप्रार्थीगण उक्त रास्ता दिये जाने के लिये सहमत है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है।मौका रिपोर्ट, मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां, सलंग्न कर मय अभिशषा के।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीया ने यह आपति प्रकट की कि प्रार्थीया द्वारा केवल ख. नं. 360 में से 20 फीट चौड़े रास्ते की प्रार्थना की थी परन्तु तहसीलदार दूनी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक 172 दिनांक 15.3.21 में अन्य खसरा नम्बर 364, 2001/364 व 362 में से अधिक लम्बाई का रास्ता प्रस्तावित कर दिया जबकि तहसीलदार दूनी को प्रार्थना पत्र अनुसार लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावति करना चाहिए था।

उक्त आपति बाबत तहसीलदार दूनी को क्रमांक राजस्व /कोर्ट/2022/3000 दिनांक 30.03.22 से पुनः संशोधित मौका रिपोर्ट हेतु पत्र लिखा गया।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी से क्रमांक 345 दिनांक 27.07.2022 से पुनः रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसके तथ्य इस प्रकार हैः– प्रार्थी स्वयं की आराजी ख0न0 342 तक पहुंचने के लिये ख0न0 360 में से रास्ता चाहा है. वर्तमान में मूल खसरा ख0न0 364 में मौजूद कुए तक पहुंचने के लिये ख0न0 360 के लगवा रास्ता उपलब्ध है। ख0न0 360 में दक्षिणि पूर्वी कोने पर विद्युत ट्रांसफार्मर लगा

हुआ है। इस कारण से ख.न. 360 के दक्षिणि पश्चिमी कोने पर प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित रास्ते का विवरण निम्नानुसार है–

क. सं.	ख. नं.	लम्बाई मीटर में	चौड़ाई मीटर में	क्षैत्रफल वर्ग मीटर में
1.	364	32	6	192
2.	360	88	6	528
कुल क्षैत्रफल				720 वर्ग मीटर

रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि की डीएलसी दर 279076 /– रूपये प्रति हैक्टेयर है। डीएलसी दर से दुगुनी प्रतिकर राशि 40190 /– रूपये होती है । आराजी ख0न0 342 वाके ग्राम धारोला सयुंक्त खतोदारी में दर्ज होकर आवेदक गीता पत्नी श्री रामदयाल के नाम 3/8 हिस्सेदारी की खातेदारी दर्ज है। प्रस्तावित रास्ता नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से चिन्हित कर दिया गया है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य में पपीता, केरूंदा, एक छोआ नीम का पेड़ आ रहा है। अन्य कोई सरचना नहीं है। रास्ते हेतु प्रस्तावित भुमि अब्दुल रहमान प्रकरण से प्रभावित नहीं है। अप्रार्थीगण ने ख0न0 360 में से रास्ता दिये जाने में अपनी असहमति जाहिर की है। असहमति जाहिर करने का कारणा बताया गया है कि अप्रार्थी द्वारा ख0न0 2000/364 गै0मु0 चाह तक जाने के लिये ख0न0 364 में से रास्ता चाहने के लिये श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय देवली के न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 251 के के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 316/2021 प्रस्तुत कर रखा है। साथ ही अप्रार्थीगण ने अपने ख0न0 364 में से चाहे गये रास्ते अपनी खातेदारी के ख0न0 362 में से होकर रास्ता देने में अपनी सहमति प्रकट की है। साथ ही उक्त रास्ते से ख0न0 342 तक पहुंचने तिनी राशि अधिक बनती है, वहन करने करने यो लिये सहमत है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों द्वारा पृथक पृथक रास्ता चाहे जाने पर ख0न0 364 का. पतिकर दोहरा जमा होना सम्भावित है।अतः मौका रिपोर्ट मूल ट्रेस नक्शा, जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतियां सलग्न कर मय अभिशंषा के सादर प्रेषित है।

अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाब/रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र बनाये जाने पक्षकार 151 सीपीसी पेश किया। जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार हो जाने पर संशोधित शीर्षक पेश किया गया जिसमे चतुरभुज पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति जाट को अप्रार्थी संख्या 6 व लक्ष्मी पत्नी चतुरभुज को अप्रार्थी संख्या 7 पक्षकार बनाया गया तहसीलदार देवली को अप्रार्थी संख्या 8 पक्षकार बनाया गया।

अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 6 ता 7 के नियत तारीख पेशी में न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार देवली ने भी अपनी रिपोर्ट में यह माना कि प्रार्थीया के पासं उसकी आराजी को रास्ते की आत्यन्तिक आवश्यकता है और प्रार्थीगण द्वारा अपनी आराजी पर पहुंचने के लिए अन्य कोई रास्ता नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी नकल दस्तावेज नकल उनवानी [illegible] शिवजीलाल बनाम चतुरभुज पेश किया, जिसके अनुसार यह प्रार्थना पत्र अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज किया जा चुका है। अतः इस प्रार्थना पत्र का अब कोई अस्तित्व नहीं है। अतः तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को अपनी आराजी भूमि में आसानी से पहुंच सकने और कृषि कार्य करने के लिए रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करावे। प्रार्थीगण इसके लिए दुगनी प्रतिकर राशि जमा कराने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी ने अपनी रिपोर्ट में रास्ते की आवश्यकता

आत्यन्तिक बताई है और आवेदित रास्ते के मध्य कोई संरचना पेड़, दीवार नही बताया है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट दिनांक 27.7.2022 में अन्य प्रकरण 316/2021 भी अन्तर्गत धारा 251 ए में न्यायालय में विचाराधीन बताया । जिसके लिए अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 316/2021 के अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज होने की नकल पेश की। अतः प्रकरण संख्या 316/2021 का इस प्रकरण से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता है। का कोई महत्व नहीं रह जाता

प्रार्थीया की भूमि 342 वाके तनग्राम धारोला पटवार हल्का सीतापुरा तहसील दूनी में जाने के लिए प्रार्थीया ने अप्रार्थीगण संख्या 1 की खातेदारी भूमि ख. नं. 360 एवं अप्रार्थीगण संख्या 6 व 7 की खातेदारी भूमि ख. नं. 364 में से रास्ते की प्रार्थना की है। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया को रास्ते की आवश्कता आत्यन्तिक है। पत्रावली के अवलोकन से भी तहसीलदार दूनी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट अनुसार धारा 251 ए की मंशा अनुसार लघुतम दूरी का रास्ता प्रस्तावित किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार दूनी को आदेशित किया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस कमांक 345 दिनांक 27.07.2022 में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता ख. नं. 364 में से लम्बाई 32 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर, जिसका क्षैत्रफल 192 वर्ग मी. एवं ख. नं. 360 में से लम्बाई 88 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर, जिसका क्षैत्रफल 528 वर्ग मी. कुल क्षैत्रफल 720 वर्ग मी के रास्ते की तरमीम प्रार्थीया द्वारा वर्तमान डी.एल.सी 279076/- प्रति है0 की दर से 720 वर्ग मीटर के लिए दुगनी प्रतिकर राशि 40190/- अथवा पुनः गणना कर वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करवाकर, राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। पत्रावली नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास दिनांक 30.05.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली